

# जिला शिक्षा अधिकारी जिला-जबलपुर



## मान्यता प्रमाण-पत्र

क्रमांक - ८६४/०१/८७०

### जिला प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक

म.प्र. शिक्षा संहिता की अध्याय -3 की कंडिका 32 तथा संशोधित कंडिका - 33 (म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक - एफ-73-07/97/20-5, भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 1997 द्वारा संशोधित) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विनियमों के अध्ययाधीन जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जबलपुर एतद् द्वारा जिला प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला/स्कूल/संस्था **डब्लू. एस. ई. सी. माध्या शाला पता टुन्ड्रा मार्केट जबलपुर** जिला जबलपुर को नीचे तालिका में दिए गए विवरणानुसार निम्न सामान्य शर्तों पर मान्यता प्रदान करता है :-

1. शाला/स्कूल/संस्था शासन द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों/निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के लिए पूर्णरूपेण उपलब्ध रहेगी।
2. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधान का पालन न किये जाने की दशा में जिला शिक्षा अधिकारी यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं।
3. संस्था समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा माँगी गई जानकारी, निर्धारित सामयिक रिपोर्ट/रिटर्न/सूचनाएं यथासमय निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. यह मान्यता आवेदित स्थान/भवन विशेष के लिए जारी की गई है। स्थान/भवन परिवर्तन करने पर मान्यता स्वतः समाप्त मानी जायेगी तथा नये स्थान/भवन हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
5. यह मान्यता आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र/अभिलेखों के आधार पर प्रदान की गई है। शाला के निरीक्षण में शपथ पत्र/अभिलेखों में उल्लेखित कथनानुसार मापदंड या अन्यपूर्तियां नहीं पाए जाने पर तत्काल मान्यता समाप्त करते हुए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-73-07/97/20-5 भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 1997 की कंडिका -7 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. मान्यता अवधि में वृद्धि करने हेतु मान्यता अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
7. प्राचार्य इस मान्यता प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में रूप से प्रदर्शित करेंगे।

परीक्षा	माध्यम	अवधि
जिला प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक परीक्षा	हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू	30 नवम्बर 2002 से 30 नवम्बर 2005 तक

दिनांक : 30.11.2002

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला जबलपुर

# जिला शिक्षा अधिकारी जिला-जबलपुर



## मान्यता प्रमाण-पत्र

क्रमांक ४६५/०३/८०७०

### जिला प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक

म.प्र. शिक्षा संहिता की अध्याय -3 की कंडिका 32 तथा संशोधित कंडिका - 33 (म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक - एफ-73-07/97/20-5, भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 1997 द्वारा संशोधित) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए विनियमों के अध्याधीन जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जबलपुर एतद् द्वारा जिला प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला/स्कूल/संस्था **डॉ. एस. ई. सी. माध्या शाला पता डून्डा मार्केट जबलपुर** जिला जबलपुर को नीचे तालिका में दिए गए विवरणानुसार निम्न सामान्य शर्तों पर मान्यता प्रदान करता है :-

1. शाला/स्कूल/संस्था शासन द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों/निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के लिए पूर्णरूपेण उपलब्ध रहेगी।
2. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों, विनियमों, आदेशों का संस्था द्वारा समुचित पालन किया जायेगा। इनमें से किसी भी प्रावधान का पालन न किये जाने की दशा में जिला शिक्षा अधिकारी यह मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही कर सकते हैं।
3. संस्था समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मांगी गई जानकारी, निर्धारित सामयिक रिपोर्ट/रिटर्न/सूचनाएं यथासमय निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. यह मान्यता आवेदित स्थान/भवन विशेष के लिए जारी की गई है। स्थान/भवन परिवर्तन करने पर मान्यता स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नये स्थान/भवन हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
5. यह मान्यता आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र/अभिलेखों के आधार पर प्रदान की गई है। शाला के निरीक्षण में शपथ पत्र/अभिलेखों में उल्लेखित कथनानुसार मापदंड या अन्यपूर्तियाँ नहीं पाए जाने पर तत्काल मान्यता समाप्त करते हुए म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ-73-07/97/20-5 भोपाल दिनांक 29 दिसम्बर 1997 की कंडिका - 7 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. मान्यता अवधि में वृद्धि करने हेतु मान्यता अवधि समाप्त होने के दो माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।
7. प्राचार्य इस मान्यता प्रमाण-पत्र को अपने कक्ष में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे।

परीक्षा	माध्यम	अवधि
जिला प्राथमिक/ पूर्व माध्यमिक परीक्षा	हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू	30. नवमी 2002 से 30. जून 2005 तक

दिनांक : 30.11.2002

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला जबलपुर